भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 637

दिनांक 29.04.2015/9 वैशाख, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

नक्सलियों के विरुद्ध कार्रवाई

637. श्रीमती नाज़नीन फारुख :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार देश में नक्सलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर विचार कर रही है, क्योंकि हाल ही में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों द्वारा किए गए लगातार हमले में कई जवान मारे गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

सरकार देश में वामपंथी उग्रवाद के खतरे को समाप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, केन्द्र सरकार वामपंथी उग्रवाद के विद्रोह से निपटने के लिए चार प्रकार की रणनीति अपनाती है – सुरक्षा संबंधी उपाय; विकास संबंधी उपाय; स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकदारियों को सुनिश्चित करना तथा जन-अवधारणा प्रबंधन, जिनमें वह विभिन्न प्रकार की योजनाओं और उपायों के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सम्पूरित करती है।

सुरक्षा संबंधी उपायों में, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी ए पी एफ) को सीधे तैनात करने के अलावा, भारत सरकार सुरक्षा संबंधी व्यय योजना, सुरक्षित पुलिस थानों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण की योजना आदि जैसी योजनाओं के माध्यम से राज्यों के क्षमता-निर्माण में सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, अन्य सुर क्षा संबंधी उपायों में राज्यों को हेलीकॉप्टर मुहैया कराना, इंडिया रिजर्व बटालियनों के गठन हेतु सहायता प्रदान करना, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत राज्य पुलिस तथा उनके आसूचना तंत्र का आधुनिकीकरण और उन्नयन करना शामिल है।

विकास के मोर्चे पर, केन्द्र सरकार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़क आवश्यकता योजना-। (आर आर पी-।), मोबाइल टावरों की स्थापना आदि जैसी विशेष योजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

स्थानीय समुदायों के अधिकार एवं हकदारियों को सुनिश्चित करने के लिए, केन्द्र सरकार ने जंगल में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वनवासियों, जो पीढ़ियों से इन जंगलों में निवास कर रहे हैं, ले किन जिनके अधिकारों को रिकार्डबद्ध नहीं किया जा सका है, को मान्यता प्रदान करने और उन्हें वनभूमि में वन-अधिकारों और व्यवसाय से समृद्ध करने हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का अधिनियमन किया है। इनके नियम दिनांक 01.01.2008 को अधिसूचित किए गए थे और इनका बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 06.09.2012 को इनमें और संशोधन किए गए हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भी इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों के बारे में दिनांक 12.07.2012 को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

जन अवधारणा प्रबंधन के अंतर्गत, केन्द्र सरकार मीडिया के माध्यम से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सरकार के अभिमत की जानकारी देने के लिए मीडिया योजना कार्यान्वित कर रही है।

सरकार का यह मानना है कि संतुलित पुलिस कार्रवाई, संकेन्द्रित विकास संबंधी प्रयत्न और शासन में सुधार के संयोजन से दीर्घावधि में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित विद्रोह का प्रभावकारी रुप से मुकाबला किया जा सकता है।

वामपंथी उग्रवादी हिंसा के सभी मामलों में राज्य पुलिस द्वारा दोषियों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाते हैं तथा कानून के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है।

****